संख्या: 1/2021/820/चौंतीस-लो0शि-05/2021

प्रेषक,

प्रथमेश कुमार,
विशेष सचिव, मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(3) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(4) समस्त पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

लोक शिकायत अनुभाग-5, लखनऊ: दिनांक : 20 दिसम्बर, 2021

विषय : जनसुनवाई-समाधान प्रणाली (IGRS) के सम्बन्ध में ऑनलाइन **प्रशिक्षण विषयक।**

महोदय,

आप अवगत हैं जन शिकायतों का निस्तारण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हो रही शिकायतों का निस्तारण **जनसुनवाई-समाधान** पोर्टल (http://samadhan.gov.in) के माध्यम से किया जा रहा है। जनसुनवाई समाधान IGRS प्रणाली से सम्बन्धित कतिपय नवीन परिवर्तनों एवं प्रणाली में किए गए सुधारों के सम्बन्ध में विगत दिनों में कई विभागों द्वारा IGRS की समस्याओं के निस्तारण हेतु प्रशिक्षण कराए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समस्त विभाग/अधिकारी/जनपद जनसुनवाई समाधान IGRS प्रणाली से सम्बन्धित बिन्दुओं/समस्याओं पर प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु ई-मेल jansunwaisamadhanup@gmail.com पर अपना विवरण/ ई-मेल आईडी/पदनाम प्रेषित करें ताकि उनको ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग करने हेतु लिंक शेयर किया जा सके। उक्त प्रशिक्षण सप्ताह में दो दिवस एक - एक घंटे ऑनलाइन सुविधाओं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

यथा गूगल मीट, जूम आदि के द्वारा दूरस्थ व्यवस्था के माध्यम से सम्पन्न किया जाएगा।

3- अत: अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार अधीनस्थों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(प्रथमेश कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या: 1/2021/820(1)/चौंतीस-लो0शि-05/2021 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक/ पुलिस उप महानिरीक्षक उत्तर प्रदेश।
6. समस्त उपाध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त प्रबन्ध निदेशक, सार्वजनिक उपक्रम, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त कुल सचिव, चिकित्सा, उच्च एवं प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
9. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0।
10. समस्त नगर आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
11. मुख्यमंत्री कार्यालय के समस्त अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
12. अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरविन्द मोहन)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in